म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / 45 / 48 / 2388 भोपाल,दिनांक 31-3-11

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
..............................जिला..................(समस्त)

विषय :– मंडी प्रांगण में कृषि उपज के विक्रय के लिए आनेवाले कृषकों की सुविधा के लिए संचालित भोजनालयों के व्यय के संबंध में।

संदर्भ :– मुख्यालय का पत्र क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / केन्टीन / 45 / 48 / 3956–3957 दि. 30.12.08 एवं क्रमांक / बोर्ड / प्रा. / कृ.भो.व्य. / 296–297 दिनांक 19.5.2009

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए "अ" एवं "ब" वर्ग की मंडियों में कृषकों के भोजन के लिये मंडी समितियों को दी जाने वाली प्रति कृषक अधिकतम 10/–रूपये की राशि मंडी समिति वहन करेगी। "स" वर्ग की मंडियों में अधिकत्तम 10/–रूपये की सबसिडी की राशि 50 प्रतिशत मंडी समिति तथा शेष 50 प्रतिशत मंडी बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में मंडी सचिव से व्यय का पूर्ण सत्यापित विवरण प्राप्त होने के आधार पर वहन किया जाएगा। तथा "द" वर्ग की मंडी में अधिकतम 10/–रूपये प्रति कृषक के मान से अनुदान की शत–प्रतिशत राशि बोर्ड द्वारा दी जाएगी। शेष शर्ते/कार्यवाही यथावत रहेगी।

उक्त योजना के लिये निविदा जिस अवधि के लिये स्वीकृत की गई है, उसका समय समाप्त होने के बाद नवीन निविदा के द्वारा भोजन हेतु नवीन दर 10/–रूपये पर भोजन उपलब्ध कराया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल